السلي

कुर्बानी आदि संबन्धी अह्काम

तर्तीब :

इस्लामिक सेंटर का विदेशी विभाग

हिन्दी 0901005

इस्लामिक सेंटर सुलैयू

टेलीफोन न० : 2410615-2414488 फैक्स एक्सटेंशन : 232

कुर्बानी आदि संबन्धी अह्काम

लेखक :

अब्दुल करीम अब्दुस्सलाम मदनी

संशोधक :

मुहम्मद क़ासिम देह्लवी

इस्लामिक सेंटर सुलैय् रियाद टेलीफोन न० :
1/2410615-2414488 फैक्स न० :
2411733 पोस्ट बाक्स न०1419 रियाद न० : 11431

ح المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالسلي ، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المدني ، عبد الكريم عبد السلام
أحكام الأضحية /هندي / عبد الكريم عبد السلام المدني
الرياض ، ١٤٣٢ هـ

٤١ ص ؛ ١٧ سم

ردمك : ٩٧٨ - ٦٠٣ - ٨٠٤٨ - ٢٨ - ٣

١- الأضحية (فقه إسلامي) أ. العنوان
ديوي ٢٥,٢ ٤٧٢٨ / ١٤٣٢

رقم الإيداع : ٤٧٢٨ / ١٤٣٢
ردمك : ٩٧٨ - ٦٠٣ - ٨٠٤٨ - ٢٨ - ٣

بسم الله الرحمن الرحيم

कुर्बानी आदि संबन्धी अह्काम

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह कृपाशील दयावान के नाम से। संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह तआला के लिये हैं और दरूदो सलाम हों अल्लााह के रसूल (ईशदूत) मुहम्मद ﷺ पर।

अल्लाह तआला ने उम्मत पर खास दया की है इस प्रकार कि उन की हिदायत् के लिए मुहम्मद ﷺ को अन्तिम संदेष्टा (रसूल) बना कर भेजा। इसी प्रकार अल्लाह तआला ने इस उम्मत के नेक बंदों के लिए खास मेहरबानी करते हुये ऐसे अवक़ात मुक़र्रर किये जिन में यह लोग अधिकतर नेक कार्य करते हैं एवं अपने लिए अधिकतर भलाई इकठ्ठा करने की कोशिश करते हैं जब कि ग़ाफिल लोग इन अवक़ात को खेल कूद में बरबाद कर देते

हैं अथवा सो कर गुज़ार देते हैं,उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि वह कितने क़ीमती वक़्त को बेकार चीज़ों में अकारत कर देते हैं यदि वह थोड़ा सा भी नेक काम कर लें तो उन के निमित्य यह धरती एवं आकाश के भीतर पाई जाने वाली चीज़ों से अच्छी हो।

ज़िलहिज्जः के दस दिन

ज़िलहिज्जः के दस दिनों की प्रतिष्ठा (फज़ीलत) कुरआन और हदीस में बयान की गई है।

१. अल्लाह तआला का कथन है:

﴿وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾ الفجر ١ ـ ٢

(क़सम है फज्र की और दस रातों की)

अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह का कहना है कि इस से मुराद ज़िलहिज्जा की दस रातें हैं।

२.हज़रत इब्ने अब्बास रज़िअल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कहते हैं रसूल ﷺ ने फर्माया :

(مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ
هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ
يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ) الترمذي (٦٨٨)

(कोई कार्य इन दस दिनों के काम से अफ्ज़ल नहीं सहाबा ने अर्ज़ किया : ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ क्या जिहाद भी नहीं है? आप ने जवाब दिया कि जिहाद भी

नहीं हाँ मगर वह आदमी जो अपनी जान और माल को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकला और सब कुछ लुटा दिया।

३.और ह़ज़्रत इब्ने उमर् रज़िअल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फरमाया :

(مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ) مسندأحمدبن حنبل(٥٨٧٩)

अल्लाह तआला के यहाँ इन दस दिनों से बढ़ कर कोई फज़ीलत वाले दिन नहीं हैं और कोई अमल भी इन दिनों के अमल से बढ़ कर नहीं है। इस लिए इन दिनों में अधिकतर तह्लील,तक्बीर और तह्मीद बयान करो। मुस्नदे अहमद(५१८६)।

तह्लील का अर्थ : लाइलाह इल्लल्लाह
तक्बीर का अर्थ : अल्लाहु अक्बर
तह्मीद का अर्थ : अल्हम्दुलिल्लाह।

४.और इमाम दारमी ने सईद बिन जुबैर का अमल अपनी किताब में लिख्खा है कि जब ज़िलहिज्जः के दस दिन आते तो वह इस प्रकार अल्लाह की इबादत् में मशगूल हो जाते जैसे मह्सूस होने लगता कि वह शायद अपने आप को हलाक कर डालेंगे।

५.हाफिज़ इब्ने हजर रहिमहुल्लाह फतहुल बारी में लिख्ते हैं कि इन दस दिनों की फज़ीलत का जो कारण मालूम होता है वह यह है कि इन दस दिनों में असल इबादतें इकट्ठी हो जाती हैं जब कि इन दिनों के अतिरिक्त यह इबादतें किसी एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती हैं।

इन दिनों में क्या करना चाहिये?

इन दिनों में किये जाने वाले काम निम्न लिखित प्रकार हैं :

१.नमाज़ : फर्ज़ नमाज़ के लिए जलदी करना और अधिकतर नफ्ल नमाज़ें पढ़ना क्योंकि यह अल्लाह से नज़्दीक होने के अस्बाब में से हैं।

हज़्रत सौबान रज़िअल्लाहु अन्हू से रिवायत है कहते हैं कि मैं ने नबी करीम ﷺ को फरमाते हुये सुना :

(عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلّٰهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً)

مسلم(٧٥٣)

तुम अल्लाह तआला के लिए अधिकतर सज्दे किया करो क्योंकि जब भी तू सज्दः

करेगा तेरा एक दर्जा बढ़ेगा और तेरी एक गलती मिटा दी जायेगी। और यह हदीस बाक़ी दिनों के लिए भी है।

२. रोज़ः क्योंकि रोजः नेक कामों में दाखिल है। इमाम अह्मद, अबूदावूद और इमाम नसाई रहिमहुल्लाह ने अपनी किताबों में यह रिवायत लिख्वी है कि हुनैदः पुत्र खालिद अपनी बीवी से रिवायत करते हैं जो आप ﷺ की कुछ बीवियों से रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ नौ ज़िलहिज्जः और योमे आशूरः (दस्वीं मुहर्रम) और हर महीने के तीन दिन रोज़े रखते थे।

और इमाम नववी रहिमहुल्लाह फर्माते हैं कि दस ज़िलहिज्जा के रोज़े मुस्तहब हैं।

३.तक्बीर,तह्लील और तह्मीद :

जिस प्रकार ऊपर इब्ने उमर् की हदीस में गुज़र चुका है कि तुम अधिकतर तक्बीर,तह्लील और तह्मीद बयान करो इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह फर्माते हैं कि हज़्रत इब्ने उमर رضي الله عنه और अबूहुरेरः رضي الله عنه इन दस दिनों में अधिकतर बाज़ार जाते, तक्बीरें कह्ते और लोग भी उन के संग तक्बीर कह्ते।

और हज़्रत इब्ने उमर रज़िअल्लाहु अन्हुमा मिना में तंबू के अन्दर तक्बीर कहते और जब मस्जिद वाले उनकी आवाज़ सुन्ते तो उन के संग तक्बीरें कहते और बाज़ार वाले सुन्ते तो वह भी तक्बीरें कहते यहाँ तक की पूरा मिना उन तक्बीरों से गूँज उठता।

इसी प्रकार इब्ने उमर् रज़िअल्लाहु अन्हुमा इन दिनों में मिना के अन्दर, नमाज़ों के बाद, बिस्तर पर, तंबू के अन्दर बैठक में और पैदल चलते हुये तक्बीरें कहते इसी लिए इन दिनों में तक्बीरें कहना हज़्रत उमर इब्ने उमर और अबू हुरेरः रज़िअल्लाहु अन्हुम के अमल की बिना पर मुस्तहब है, तो हमारे लिए मुनानासिब है कि इन दिनों में हम इस सुन्नत को ज़िन्दा करें जिसे हम भुला चुके हैं बल्कि क़रीब है कि यह सुन्नत खत्म हो कर रह जाये इस लिए इस बात की आवश्यक्ता है कि इन तक्बीरों की पाबंदी करें ताकि हम भी सलफे सालिहीन के गिरोह में शामिल हो सकें।

१.योमे अरफः का रोज़ः हाजियों को छोड़ कर दूसरे लोगों को इस रोज़े की पाबंदी करनी चाहिये।

मुस्लिम शरीफ में है कि आप ﷺ ने फर्माया :

(صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ) مسلم (١٩٧٦)

मैं अल्लाह तआला से उम्मीद करता हूँ कि इस रोज़े के कारण वह अगले एवं पिछले वर्ष के (पाप) गुनाह क्षमा कर देते हैं।

१.योमुन्नह़र(कुर्बानी के दिन) की प्रतिष्ठा (फज़ीलत) : इस दिन की फज़ीलत से अधिकतर मुसलमान ग़ाफिल हैं उलमा (ज्ञानियों) ने तो इस दिन को ही साल के

संपूर्ण दिनों से अफ्ज़ल कहा है यहाँ तक कि योमे अरफः से भी अफ्ज़ल कहा है। इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं : अल्लाह के यहाँ अधिकतर अफ्ज़ल दिन योमुन्नहर है और वह हज्जे अक्बर का दिन है जिस प्रकार सुनने अबीदावूद में है कि अल्लाह के यहाँ अधिकतर अफ्ज़ल दिन योमुन्नहर है उसके बाद मिना में क़याम वाला दिन है और कुछ लोग कहते हैं कि योमे अरफः का दिन अफ्ज़ल है क्योंकि उस का रोजः रखने से दो साल के गुनाह क्षमा (मुआफ) हो जाते हैं और योमे अरफः के अतिरिक्त कोई ऐसा दिन नहीं है जिस में अल्लाह तआला अधिकतर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं और उस दिन अल्लाह तआला बंदों के अधिक क़रीब

होता है और उसी दिन अल्लाह तआला फरिश्तों से अरफः का वकूफ करने वालों पर फख्र (गर्व) करता है और सही क़ौल के मुताबिक़ योमुन्नह़र ही अफ्ज़ल दिन है क्योंकि इस बात का सबूत हदीस से भी मिलता है जिस के मुक़ाबले में कोई क़ाबिले ज़िक्र दलील नहीं है,बहर हाल इस बात से कोई फर्क़ नहीं पड़ता चाहे योमे अरफः अफ्ज़ल हो या योमुन्नह़र अफ्ज़ल हो मुसलमान को तो ऐसी फज़ीलत पा लेने का इच्छुक होना चाहिये और इस सुनहरी घड़ी से फाइदः के हासिल होने की फिक्र होनी चाहिये।

नेकी के मौसमों की आवभगत

किस प्रकार नेकी के मौसमों की आवभगत की जाये?

इस प्रश्न का उत्तर निम्न लिखित प्रकार है:

मुसलमान की कोशिश होनी चीहिये कि वह नेकी के मौसमों की आवभगत सच्ची पक्की तोबः के साथ करे अपनी गलतियों और गुनाहों पर पछताये क्योंकि गुनाह इंसान को अल्लाह तआला की रह्मत से दूर कर देते हैं और अल्लाह तआला के साथ दिली तअल्लुक़ को खत्म कर देते हैं।

इस लिये इन्सान को सच्चे पक्के इरादे के साथ ऐसे अवक़ात का इस्तिक़बाल करना चाहिये की उस की पूरी कोशिश अल्लाह तआला की खुशनूदी हासिल करने के लिये

हो क्योंकि जो भी भलाई की कोशिश करता है अल्लाह तआला अवश्य उस की मदद फर्माते हैं इर्शादे इलाही है :

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ
ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ العنكبوت: ٦٩

(जो हमारे लिये कोशिश करते हैं हम उन को अपने मार्ग (सिराते मुस्तक़ीम) की ओर हिदायत देते हैं और निसंदेह अल्लाह तआला एह्सान करने वालों के साथ है)।

एक और जगह इर्शादे इलाही है :

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا
رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾ ٩٠

(बेशक वह लोग भलाई की कोशिश करते थे और हम को खौफ और उम्मीद से

पुकारते थे और केवल हमारे सामने ही झुक्ते थे)

तो ऐ मेरे प्यारे भाई इस घड़ी को गनीमत समझ कर के नेक अमल को अंजाम दे ताकि वक़्त गुज़रने से अफ्सोस न करना पड़े। अल्लाह तआला हमें और आप को भलाई के अवक़ात से लाभ उठाने की तौफीक़ बख्शे और हम अल्लाह तआला से इस बात का सवाल करते हैं कि वह हमें इन मौसमों में अपनी इताअत् और अच्छे ढंग से इबादत् की तौफीक़ बख्शे।

कुर्बानी के कुछ अह्काम और उसकी मश्रूइयत।

अल्लाह तआला ने अपने इस कथन के ज़रिए क़ुर्बानी को मश्रूअ् क़रार दिया है। फर्माया :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ الكوثر:

(ऐ मुहम्मद अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुर्बानी करो)।

एक और जगह फर्माने इलाही है :

﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ الحج: ٣٦

(ऊंटों को तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी बनाया इस में तुम्हारे लिए खैर है)।

कुर्बाानी करना सुन्नते मुअक्कदः है और ताक़त होते हुये कुर्बानी न करना मक्रूह है।

इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमल्लाह् ने रिवायत ज़िकर की है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अल्लाह का नाम लेकर और तक्बीर कह कर अपने मुबारक हाथों से दो सींगों वाले मोटे ताज़े दुंबों की कुर्बानी की।

और कुर्बानी ज़िन्दों के हक़ में मश्रूअ् है जैसा कि अल्लाह के रसूल ﷺ और आप के सहाबा अपने और अपने घर वालों की ओर से करते थे और जो लोग यह समझते हैं कि कुर्बानी केवल मुरदों के साथ खास है तो इस बात में दम नहीं है।

मुरदों की ओर से कुर्बानी तीन प्रकार की हैं :

१.मुरदों की कुर्बानी ज़िंदों के ताबेअ् हो : उदहारण के तौर पर आदमी अपने और अपने घर वालों की ओर से कुर्बानी करे और ज़िंदों के साथ मुरदों की भी निय्यत करले और इसकी दलील नबी करीम ﷺ का अपने और अपने घर वालों की और से कुबानी करना है जब कि आप के अह्ले बैत में से कुछ लोगों की मृत्य हो चुकी थी।

२. मुरदों की वसिय्यत पर अमल करते हुये उनकी ओर से कुर्बानी करना।

और इस की दलील अल्लाह तआला का यह फर्मान है :

﴿ فَمَنۢ بَدَّلَهُۥ بَعۡدَ مَا سَمِعَهُۥ فَإِنَّمَآ إِثۡمُهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴾ البقرة: ١٨١

(अब जो व्यक्ति इसे सुनने के बाद बदल दे उस का गुनाह बदलने वाले पर ही होगा,निसंदेह अल्लाह तआला सुनने वाला है)।

३. मुरदों की ओर से जीवित लोगों का ईसाले सवाब की निय्यत से कुर्बानी करना। तो यह जायज़ है, फुक़हाये हनाबिलः सद्क़ा पर क़यास करते हुये कहते हैं कि मय्इत को इस का सवाब् मिलता है परन्तू कुर्बानी को मय्इत के साथ खास करने की सुन्नत से कोई दलील नहीं है क्योंकि किसी मय्इत के लिए खुसूसी तौर पर आप ने ज़िबह नहीं किया है आप ने अपने चचा हम्ज़ा की

ओर से ज़िबह नहीं किया जब कि वह आप के मुअज़्ज़ज़ रिश्तेदारों में से थे और न ही आप ने अपनी उन अवलाद की ओर से क़ुबानी की जो आप की ज़िन्दगी में फौत हो गये थे और वह तीन शादी शुदः बेटियाँ और तीन छोटे बेटे हैं और न ही अपनी बीवी खदीजः की ओर से क़ुर्बानी की जब कि वह आप की चहेती बीवियों में से एक हैं।

और न ही किसी सहाबी ने अपने किसी क़रीबी की ओर से क़ुर्बानी की है।

किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है?

कुर्बानी केवल ऊंट गाय और बकरी की जायज़ है क्योंकि अल्लाह तआला का फर्मान है :

﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ الحج: ٣٤

(ताकि तुम अल्लाह तआला का नाम लेकर कुर्बान करो उन चौपायों से जिन को अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए रोज़ी के तौर पर पैदा फर्माया है)।

कुर्बानी की शरतें

कुर्बानी की शरतों में से एक शर्त यह है कि जानवर ऐब से बिल्कुल पाक हो क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने फर्माया :

(أَرْبَعَةٌ لَا يَجْزِينَ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَاوَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي) النسائي (٤٢٩٤)

चार जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है :

१.अन्धा जानवर जिस का अन्धापन ज़ाहिर हो।

२.बीमार जानवर जिस की बीमारी ज़ाहिर हो।

३.लंगड़ा जानवर जिस का लंगड़ापन ज़ाहिर हो।

३. ऐसा दुब्ला जानवर जिस को चलने में भी मुश्किल पेशआती हो। नसाई(४२६४)।

कुर्बानी का वक़्त

कुर्बानी का वक़्त ईद की नमाज़ के तुरंत बाद शुरू हो जाता है,रसूल ﷺ ने फर्माया :

(مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)

بخاري(٥١٢٠)

जिस ने ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी कर ली गोया उस ने अपने लिए जानवर ज़िबह किया और जिस ने नमाज़ के बाद जानवर ज़िबह किया तो उस की कुर्बानी पूरी हुयी और उस ने मुसलमानों के तरीक़े पर अमल किया।

और सुन्नत तरीक़ा यह है कि आदमी अपने हाथ से कुर्बानी का जानवर ज़िबह

करे और ज़िबह करते वक़्त निम्न लिखित अल्फाज़ जुबान से अदा करे :

(بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ اللّهُمّ هَذَا عَنْ فُلاَنٍ)

(अल्लाह के नाम से और अल्लाह सब से बड़ा है ऐ अल्लाह यह फलाँ की ओर से है)।

फलाँ यदि अपनी ओ से कुर्बानी कर रहा है तो फलाँ की जगह अपना नाम ले या जिस ने उस को जानवर कुर्बान करने का मुकल्लफ किया है उस का नाम ले क्योंकि रसुल ﷺ ने जब दुंबा ज़िबह किया तो फर्माया :

(بِسْمِ اللّهِ وَاللّهُ أَكْبَرُ هَذَا عَنّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي)

(अल्लाह के नाम से और अल्लाह सब से बड़ा है ऐ अल्लाह यह मेरी ओर से है

और मेरी उम्मत के उन लोगों की ओर से है जिस ने कुर्बानी नहीं की है)। अबूदावूद (२४२७) त्रिमिज़ी(१४४१)।

कुर्बानी के गोश्त की तक़्सीम

कुर्बानी करने वाले को चाहिये कि वह खुद भी कुर्बानी के गोश्त से कुछ न कुछ खाये और गरीबों एवं मिस्कीनों पर अल्लाह की राह में सदक़ा करे जिस प्रकार अल्लाह तआला ने कुर्आने करीम में फर्माया :

﴿فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾ الحج: ٢٨

उस कुर्बानी से तुम खुद भी खाओ और मुह्ताज और फक़ीर को भी खिलाओ।

एक और जगह फरमाया :

﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ الحج: ٣٦

(तुम उस से खुद भी खाओ और ज़रूरतमंद (सवाल करने वाले या न करने वाले) मुह्ताज को भी खिलाओ इसी प्रकार हम ने इसे तुम्हारे ताबे'अ कर दिया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करते रहो।

और कुछ सलफे सालिहीन ने इस बात को पसंद किया है कि कुर्बानी के गोश्त् के तीन हिस्से किये जायें एक हिस्सा अपने लिए रख लिया जाये और एक हिस्सा तोह्फे के तौर पर करीबी रिश्ते नाते वालों को भेज दिया जाये और तीसरा हिस्सा फक़ीरों पर सदक़ा कर दिया जाये।

कुर्बानी करने वाला किन चीज़ों से बचे

जब कोई कुर्बानी का इरादा रख्ता हो औरज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो जाये तो उस के लिये कुर्बानी से पहले बाल काटना नाखुन तराश्ना और अपने जिस्म से कोई भी चीज़ लेना मना है।

उम्मे सलमः से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फर्माया :

(إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ) مسلم (٣٦٥٣)

जब जुलहिज्जा का महीना शुरू हो जाये और तुम में से कोई एक कुर्बानी का इरादः रख्ता हो तो वह अपने बाल काटने और नाखुन काटने से रुक जाये।

और अगर उस ने उन दस दिनों के अन्दर किसी वक़्त क़ुर्बानी की निय्यत की तो उसी वक़्त से वह ऊपर लिखित कामों से रुक जाये और अगर निय्यत करने से पहले उस ने उन कामों में से किसी काम को कर लिया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है और जो क़ुर्बानी करना चाहता हो और अपने नाख़ुन या बाल या कोई और चीज़ जिस्म से काट डाले तो उस पर तोबः करना अनिवार्य है और उस पर किसी क़िस्म का कोई कफ्फारा तो नहीं है अलबत्ता उस पर लाज़िम है कि वह फिर वह काम न करे और अगर क़ुर्बानी करने वाले ने भूल कर या जिहालत की वजह से ऊपर लिखित कामों को कर लिया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है और न ही यह

बात उस के लिए कुर्बानी करने में रुकावट है इसी प्रकार न चाहते हुये उस का बाल आदि गिर गया तो उस पर कोई गुनाह नहीं है , इसी प्रकार अगर मजबूरी की वजह से उस ने बाल उतारे या नाखुन काट लिये तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, उदहारण के तौर पर टूटे हुये नाखुन का उतारना जो तक्लीफ का कारण बन रहा हो या वह बाल पकड़ लेना जो आँख में दाखिल हो चुका हो।

ईदुल अज़्हा के मसाइल्

प्रिय मुसलमान भाई अल्लाह तआला आप को उन लोगों की जमाअत् में शामिल करदे जो उस महान (अज़ीम) दिन की फज़ीलत को हासिल करते हैं और अल्लाह तआला तुझे लम्बी उमर अता करे ताकि तू बार बार ऐसे आमाल, अक़्वालो अफआल की ओर तवज्जुह करे जो तुझे अल्लाह तआला के अधिकतर क़रीब करदें।

ईदुल अज़्हा का दिन इस उम्मत की खुसूसियत् है और यह दिन इस्लाम के श़'आइर (संस्कार) में से है। तो ऐ भाई तुम्हारे लिए अनिवार्य है कि तुम इस दिन पर खुसूसी तवज्जुह दो अल्लाह तआला का इर्शाद है :

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾ الحج: ٣٢

(जो व्यक्ति अल्लाह के श़'आइर (संस्कार) की त'अज़ीम करता है तो यह दिलों के तक़्वा की निशानी है)।

नीचे ईदुल अज़्हा के लिए कुछ आदाब और अह्काम लिखे जारहे हैं जिन की ओर तवज्जुह देना मुसलमान के लिए अनिवार्य है।

१.तक्बीर कह्ना : अरफा के दिन सुबह की नमाज़ से लेकर तेरह ज़िलहिज्जः अस्र की नमाज़ तक तक्बीरों की ओर तवज्जुह देना। फरमाने इलाही है :

﴿ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ ﴾ الحج: ٢٨

(और अल्लाह का ज़िक्र मखसूस दिनों में करें।)

और इन तक्बीरात के अलफाज़ कुछ इस प्रकार हैं :

(اللهُ اكبَرُ اللهُ اكبَرُ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اكبَرُ اللهُ اكبَرُ وَلِلّٰهِ الحَمْدُ)

और पुरूषों के लिये सुन्नत यह है कि वह ऊँची आवाज़ के साथ मस्जिदों, बाज़ारों, घरों और फर्ज़ नमाज़ों के बाद तक्बीरों की ओर तवज्जुह दें ताकि अल्लाह तआला की बड़ाई का इज़्हार और उस का शुक्र अदा हो सके।

२.जानवर क़ुर्बान करना : ईद की नमाज़ के बाद जानवर कुर्बान किया जाये क्योंकि नबी करीम ﷺ ने फरमाया :

(مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ) بخاري (٥٠٧٦)

जिस ने ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी की उस को चाहिये कि वह उस जानवर की जगह दूसरा जानवर कुर्बान करे और जिस ने हमारी नमाज़ की अदायगी से पहले ज़िबह न किया तो उसे चाहिये कि वह अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह करे।

याद रहे कि कुर्बानी का वक़्त चार दिन तक है ईद का दिन और उस के बाद तीन

दिन। यही नबी करीम ﷺ से साबित है आप ने फरमाया :

(كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ) (السلسلة الصحيحة(٢٤٧٦)

कुर्बानी तमाम अय्यामे तश्रीक़ में की जा सक्ती है।

३.नहाना और मरदों का खुश्बू लगाना :

नहाने के बाद अच्छे कपड़े पहनना तो बेहतर है मगर पोशाक तय्यार करने में फुजूल खर्ची करना, टखनों से नीचे लटकाना, दाढ़ी मुंडाना, यह सब हराम काम हैं औरतों के लिये बिना खुशबू लगाये और अपनी ज़ीनत को छुपाये ईदगाह की ओर जाना मशरू'अ है। और औरतों को इस ओर ध्यान देना अनिवार्य है कि ईदगाह में जाने क मक़्सद अल्लाह की

इताअत् है इस लिये हर औरत को अधिक परदे की ओर ध्यान देना अनिवार्य है और औरत का खुशबू लगार ईदगाह जाना मना है।

४.कुर्बानी का मांस खाना : आप ﷺ का यह तरीक़ा था कि आप ईदुल अज़्हा के दिन कुर्बानी के मांस से पहले कोई चीज़ नहीं खाते थे।

५.पैदल ईदगाह की ओर जाना : यदि कोई मजबूरी आदि न हो तो नमाज़ के लिए पैदल ईदगाह की ओर जाना चाहिये, बारिश या किसी और कारण मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ी जासकती है क्योंकि रसूल ﷺ से ऐसा साबित है।

६. मुसलमानों के संग ईदगाह में हाज़िर हो कर नमाज़ पढ़ना एवं खुतबः सुनना :
जांच कर्ता वैज्ञानिकों (मुहक़्क़िक़ीन उलमा) जैसे शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ने इस बात को तरजीह दी है कि ईद की नमाज़ हर मुसलमान पर वाजिब है क्योंकि फर्माने इलाही है :

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴾ الكوثر: ٢

कि ऐ मुहम्मद अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुर्बानी करो।

शर्ई कारण के अतिरिक्त इस फर्ज़ से किसी मुसलमान को छूट नहीं दी जा सकती। और औरतें मुसलमानों के संग ईदगाह में हाज़िर हूँगी और वह औरतें जिन को हैज़ (माहवारी खून) आरहा हो

और नौजवान लड़कियाँ ईदगाह जायेंगी अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज़ नहीं पढ़ेंगी।

मार्ग बदलना

एक रास्ते से ईदगाह जाना और दूसरे रास्ते से वापिस लौटना मुस्तहब है क्योंकि नबी ﷺ ने ऐसा किया है।

ईद की मुबारकबाद देना :

ईद की मुबारकबाद देने में कोई हरज नहीं है क्योंकि सहाबा से यह चीज़ साबित है।

ईद पर सरज़द होने वाली गलतियाँ

प्रिय मुस्लिम भाई ऐसी गलतियों से बचें जो कुछ मुसलमानों से सरज़द होती हैं और वह निम्न लिखित हैं :

✶ **इकट्ठे तक्बीर कहना :** और वह इस प्रकार कि एक आदमी तक्बीर कहे तो

बाक़ी लोग चुप रहें और जब वह चुप करे तो दूसरे उस के पीछे तक्बीर कहें।

✶**ईद के दिन बेकार कामों में लग जाना :** अर्थात ऐसे हराम कामों को अंजाम देना जो मना हैं जैसे गाने सुनना फिलमें देखना गैर महरम औरतों और मरदों का एक जगह इकट्ठा होना।

✶**बाल काटना : ईदुल अज़्हा की नमाज़** से पहले बाल एवं नाखुन आदि काटना मना है।

✶**फुज़ूल खर्ची :** ऐसे कामों पर पैसा खर्च करना जिन का कोई लाभ न हो फर्माने इलाही है :

﴿ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾
الأنعام: ١٤١

फ़ुज़ूल खर्ची न करो वह(अल्लाह) फ़ुज़ूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता।

प्रिय मुस्लिम भाई नेकी और भलाई के काम जैसे नातेदारी, सिला रह्मी, रिश्तेदारों की ज़्यारत आदि की ओर तवज्जुह दो और बुरे काम जैसे हसद कीना कपट नफरत दुश्मनी आदि से बचो और फक़ीरों एवं मुहताजों की मदद् करो और उन्हें अपनी खुशी में शरीक करो।

अल्लाह तआला से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उन चीज़ों की तौफीक़ दे जिन्हें वह मह्बूब रखता है एवं पसंद करता है और हमें दीन की समझ प्रदान करे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो इन दिनों अर्थात ज़िलहिज्जा के दस दिनों में खालिस अल्लाह तआला के लिए नेक काम करते

हैं। दरूदो सलाम नाज़िल हों हमारे नबी मुहम्मद ﷺ पर आप के खान्दान वालों एवं आप के संपूर्ण सहाबा पर।

أحكام الأضحية

تأليف :

عبدالكريم عبدالسلام المدني

مراجعة :

محمد قاسم الدهلوي